



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1412]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932

No. 1412]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010
सं. 50/2010-आयकर

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2010

No. 50/2010-Income-tax

का.आ. 1665(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खण्ड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 एवं परवर्ती वर्षों हेतु उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक योजना के रूप में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की तात्कालिक वार्षिक योजना विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 178/143/2006-आ.क.नि.-1]

पदम सिंह, अवर सचिव

S.O. 1665(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (2) of Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Immediate Annuity Plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, as approved by Insurance Regulatory and Development Authority, as the annuity plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company Limited for the purposes of the said clause for the assessment year 2007-08 and subsequent years.

[F. No. 178/143/2006-ITA-1]

PADAM SINGH, Under Secy.